

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, 6वाँ तल उ०प्र०, लखनऊ

संख्या-एम०ई०-३/नर्सिंग-२०२२/

लखनऊ:दिनांक २३ सितम्बर, २०२२

यू०पी० नर्सिंग-२०२२ के प्रथम चक की ऑन लाईन काउंसिलिंग की संभावित(Tentative) समय-सारणी

राजकीय/निजी क्षेत्र के नर्सिंग कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों के बी०एस०सी० नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी०एस०सी० नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रथम चक की ऑन-लाइन काउन्सिलिंग की समय-सारणी निम्नवत् है:-

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ होने की तिथि	दिनांक ०६ अक्टूबर, २०२२ अपराह्न २:०० बजे से दिनांक १० अक्टूबर, २०२२ की अपराह्न २:०० बजे तक
पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि	दिनांक ०६ अक्टूबर, २०२२ अपराह्न २:०० बजे से दिनांक १० अक्टूबर, २०२२ तक
सिक्वोरिटी धनराशि जमा करने की तिथि	दिनांक ०६ अक्टूबर, २०२२ अपराह्न २:०० बजे से दिनांक ११ अक्टूबर, २०२२ तक
ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग की तिथि	दिनांक ११ अक्टूबर, २०२२ को अपराह्न २.०० बजे से १३ अक्टूबर २०२२ को अपराह्न २.०० बजे तक
परिणाम घोषित करने की तिथि	दिनांक १४/१५ अक्टूबर २०२२
आवंटन पत्र डाउनलोड करने एवं प्रवेश लेने की तिथि	दिनांक १७ अक्टूबर २०२२ से २० अक्टूबर २०२२

- अटल विहारी बाजपेई, लखनऊ एवं के०जी०एम०यू०, लखनऊ द्वारा संयुक्त रूप से कराई गई नर्सिंग पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही अर्ह माने जायेंगे, उक्त परीक्षा में घोषित मेरिट के आधार पर ही आवंटन की प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।
- ऑनलाइन काउंसिलिंग शासन द्वारा नामित तकनीकी संस्था राज्य सूचना केन्द्र (एन०आई०सी०) के सहयोग से महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० द्वारा करायी जा रही है। किसी भी अनाधिकृत संस्था/व्यक्ति के स्तर पर लिए गये प्रवेश पूर्णरूप से अवैध है, जिसका उत्तरदायित्व चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० का नहीं होगा।
- दिव्यांगजन अभ्यर्थी अपना दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रदेश के राजकीय/स्वशासी मेडिकल कालेजो/विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे। दिव्यांगता प्रमाण-पत्र बनाये जाने हेतु तिथियों की घोषणा शीघ्र ही की जायेगी।
- काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थी द्वारा पंजीकरण शुल्क रु० ५००/- डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग/ई-चालान के माध्यम से जमा की जायेगी, जो वापस नहीं की जायेगी।
- पंजीकरण के पश्चात अभ्यर्थी को धरोहर धनराशि रु० ५,०००/- डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग/ई-चालान के माध्यम करनी होगी।
- प्रथम चक की काउंसिलिंग हेतु निर्धारित समय-सारणी के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा राजकीय/निजी क्षेत्र के नर्सिंग कालेज की सीटों पर प्रवेश हेतु वरीयता के आधार पर ऑनलाइन च्वाइस भरी जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा उन्ही कालेजों की च्वाइस भरी जाये, जिनमें प्रवेश हेतु वह इच्छुक है। ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।
- ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग के पश्चात् च्वाइस लॉक करना अनिवार्य है। च्वाइस लॉक न होने की स्थिति में अभ्यर्थी आवंटन प्रक्रिया से स्वतः बाहर हो जायेगा।
- अभ्यर्थियों को आवंटन के पश्चात आवंटन पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया आवंटित कालेज में ही पूर्ण की जायेगी।
- किसी भी अनाधिकृत संस्था/व्यक्ति अथवा स्वयं के स्तर पर लिए गये समस्त प्रवेश पूर्णरूप से अवैध माने जायेंगे। यदि भविष्य ऐसे अनाधिकृत प्रवेश के संबंध में इस कार्यालय को कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का होगा। जिस पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- प्रथम चक की काउंसिलिंग से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी यदि प्रवेश नहीं लेता है तो उसके द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी, जो द्वितीय चक की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं, तो वह रु० ५,०००/- धरोहर धनराशि पुनः जमा कर काउंसिलिंग में प्रतिभाग कर सकता है।
- ऐसे अभ्यर्थी, जिनको प्रथम चक की काउंसिलिंग से आवंटन प्राप्त कर प्रवेश ले लिया जायेगा और वह द्वितीय चक की काउंसिलिंग में पुनरावंटन (Resuffle) हेतु इच्छुक है, वह कालेज की सिक्वोरिटी/हास्टल एवं विविध शुल्क द्वितीय चक की काउंसिलिंग सम्पन्न होने के पश्चात् सम्बन्धित कालेज में रिपोर्ट करते हुए जमा की जायेगी।
- आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप आरक्षण प्रदान किया जायेगा।
- उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई०डब्ल्यू०एस०) के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते समय उनका अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र दिनांक ०१ अप्रैल, २०२२ अथवा इसके पश्चात् का बना होना चाहिये। अन्यथा की स्थिति में उनके प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा।
- निजी क्षेत्र के सभी नर्सिंग कालेज अपनी वेबसाइट पर शुल्क व अन्य मदों में लिये जाने वाले धनराशि का विवरण कालेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
- अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएँ एवं विस्तृत विवरण वेबसाइट www.dgme.up.gov.in पर देखी जा सकती है। अद्यतन सूचनाओं की जानकारी हेतु समय-समय पर उक्त वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।
- नर्सिंग काउंसिलिंग हेतु विभागीय ई-मेल nursingcounselingup@gmail.com पर सम्पर्क करें।